

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से तक

जिला गढ़वा सं० 18 सन् 20 15-16

कस का प्रकार CNT सिट की धारा 46 के तहत अंज जा० की भूमि विक्री हेतु परिशिष्ट

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3


23-6-2015.

आवेदन विक्रेता हरिकिशुन उराँव कल
 स्व० तेतर उराँव ग्राम कुम्हा खुर्द पो महदेइया
 धाना नगर उन्तारी जिला गढ़वा राज्य
 कारखण्ड के आवेदन पत्र देकर अपनी
 निम्नांकित भूमि की विक्री केता श्री प्रफुल खल्ले
 पिता स्व० सुरवलाल उराँव जाति उराँव सा० कुम्हा खुर्द
 पो महदेइया धाना नगर उन्तारी जिला गढ़वा राज्य
 कारखण्ड के हाकों विक्री हेतु अनुमति की मांग
 की है।

भूमि का विवरण

ग्राम+धाना न०	खता	प्लॉट	रकबा	चौखट्टी
कुम्हा खुर्द	35	583	0-30डी०	उत्तर-गंगा उराँव द०-लूई प्रभाकर खल्ले ५०-रस्ता ५०-तेतर उराँव
				0-30डी० (तीस डी० मात्र)

आम इस्तफार निर्गत करें एवं संबंधित
 अधिकारी से जंच प्रतिवेदन की मांग
 दिनांक 15-7-2015 तक करें।


 भू० सु० उप समाहर्ता,
 नगर उन्तारी।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर कारवाई के टिप्पणी, तारीख सहित 3
------------------------------------	---	--

अभिलेख उपस्थापित/अंचल अधिकारी, नगर उत्तरी के पत्रांक 486 दिनांक 8-9-16 से आंच प्रतिवेदन एवं आम इस्तर की तामिला प्रति प्रकाशन के पश्चात प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया, अवलोकन से विदित होता है कि क्रेता एवं विप्रेता दोनों एक धाना के एक ही जाति (अनुज-जाति) के रैयत हैं। प्रस्तावित भूमि के रवतियानी रैयत तैतर उरौव हैं एवं जमाबंदी पंजी II में भी तैतर उरौव का नाम दर्ज है। आवेदक का सम्बन्ध रवतियानी रैयत एवं जमाबंदी दाह रैयत से पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। प्रस्तावित भूमि रवतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि पर कब्जा आवेदक हरिकिमुन उरौव है। प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2014-15 तक जमा कर दिया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि की विक्री पुत्री को सादी हेतु विक्री की जा रही है। प्रस्तावित भूमि की विक्री के पश्चात आंच भूमिधन की श्रेणी अन्तर्गत नहीं आते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि की विक्री हेतु अनुमति की गई है।

भूमि का विवरण

ग्राम+शानां०	खता	प्लॉट	रकबा	चौदरी
कुम्बाखुर्द	35	583	0.30 बी०	ऊर- जमा उरौव रु- मुई प्रभाव खखलो पू- रास्ता प०- तैतर उरौव
			कुल 0.30 बी० (तीस बी०)	

अतः अंचल अधिकारी के अनुमति के अन्तर्गत में उपरोक्त भूमि को विक्रेता हरिकिमुन उरौव पिता एवं तैतर उरौव ग्राम ग्राम कुम्बाखुर्द धाना नगर उत्तरी जिला गढ़वा को उपरोक्त भूमि, क्रेता प्रमुख रूप से खलसा पिता सुखलाल खलसा सा० कुम्बाखुर्द धाना नगर उत्तरी जिला गढ़वा को लक्ष्य करी करने की - - दी जाती है। अनिष्ट आवेदक एवं अन्य निवेदन को ध्यान में रखा जाये।

लेखापति/संस्थापित [Signature]